कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई
आकाश गंगा सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.) 490023
फोन नं. 0788–2350125, फैक्स नं. 0788–4040118
Email-nigam_bhilai@yahoo.co.in

==

द्वितीय रूचि की अभिव्यक्ति ऑफर सूचना

क्रं./जन स्वा. वि./958/2023 भिलाई, दिनांक 13/3/23

नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आवारा सूअरों को पकड़कर शहर के बाहर लगभग 10 किलोमीटर दूर ले जाकर निष्पादन करने हेतु इच्छुक एजेंसी, फर्म, एनजीओ, व्यक्ति से द्वितीय ऑफर आमंत्रित किया जाता है। ऑफर आवेदन शुल्क एवं धरोहर राशि 1,00,000.0 का एफ.डी.आर. लिफाफा "अ" में एवं दर लिफाफा "ब" में तथा लिफाफा "अ" और "ब" को लिफाफा 'स' में सील बंद कर रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 28.03.2023 को सायं 5:30 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाएं दिनांक 29.03.2023 को 11:00 बजे उपस्थित निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। आवकाश के अवधि में अगले कार्य दिवस में निविदा खोली जावेगी, ऑफर में भाग लेने हेतु दिनांक 22.03.2023 को सायं 5:30 बजे तक निगम मुख्य कार्यालय जन स्वास्थ्य विभाग में आवेदन शुल्क रु. 750.00 जमा कर निविदा फार्म प्राप्त कर सकते है। कार्य से संबंधित विस्तृत जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई के वेबसाइट www.bhilainagarnigam.Com अथवा www.uad.cg.gov.in से दिनांक 22.03.2023 तक डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई
जन स्वास्थ्य विभाग

विषय :— आवारा सूअरों को पकड़कर शहर के बाहर ले जाकर निष्पादन करने के संबंध में।

नियम एवं शर्ते :—

आवारा सूअरों को पकड़कर शहर के बाहर लगभग 10 किलोमीटर दूर ले जाकर निष्पादन करने हेतु निम्नानुसार नियम शर्त लागू होगी :—

1. नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आवारा सूअरों को पकड़कर शहर के शहर के बाहर लगभग 10 किलोमीटर दूर ले जाकर निष्पादन करने हेतु निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगाः—
   ए. कार्यादेश जारी होने के उपरांत जोनवार अभियान चलाकर सूअरों को पकड़ा जाना होगा, उक्त अभियान में निविदाकार के टीम के साथ नगर निगम के संबंधित स्वच्छता निरीक्षक की टीम उपस्थित रहेंगे, जिनके मार्गदर्शन में पकड़े जाने वाले सूअरों का पंजी में दर्ज किया जावेगा और फोटोग्राफ्स लेना अनिवार्य होगा। निविदाकार को प्रति सूअर न्यूनतम रू. 600.00 निगम कोष में जमा करना होगा, रु. 600.00 से अधिक राशि जमा करने वाले ऑफर दाता को उक्त कार्य आबंटित किया जावेगा।
   बी. नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत पकड़े गये सूअरों को निगम के अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में शहर के बाहर लगभग 10 किलोमीटर दूर ले जाकर शासन के गाईड लाईन अनुसार निष्पादन करना होगा।
   सी. पकड़े गये सूअरों का विवरण हेतु एक पंजी निविदाकार/संबंधित जोन के स्वच्छता निरीक्षक द्वारा संधारित की जायेगी।
   डी. उक्त कार्य हेतु निविदा दाता को स्वयं की वाहन (वाहन चालक, हेल्पर, आवश्यकतानुसार कर्मचारी एवं ईधन सहित) उपलब्ध कराना होगा।
2. निविदादाता को आवेदन शुल्क रु. 750/— निगम कोष में जमा करना होगा।
3. निविदादाता को लिफाफा अ में धरोहर राशि की एफ.डी.आर. एवं अन्य दस्तावेज तथा लिफाफा ब में आवारा सूअरों को पकड़कर निर्धारित शर्त अनुसार शहर के बाहर जंगल में छोड़ने के कार्य हेतु अपनी दर प्रस्तुत करनी होगी। दोनों लिफाफे को लिफाफा स में डालकर स्पीड पोस्ट/रजिस्ट्री द्वारा कार्यपालन अभियंता/स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिक निगम, भिलाई (छ.ग.) को प्रस्तुत करना होगा।
4. लिफाफा खोले जाने के समय एजेंसी/फर्म या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।
5. निविदादाता द्वारा नियम शर्त की उल्लंघन के दशा में प्रति सूअर रु. 3000.00 की अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा।
6. सफल निविदादाता को अनुबंध हेतु पत्र दिया जावेगा जिसमें उल्लेखित समयानुसार अनुबंध करना अनिवार्य होगा, समय सीमा में अनुबंध नहीं किये जाने की स्थिति में जमा धरोहर राशि राजसात करते हुए निविदा निरस्त कर दी जावेगी एवं द्वितीय ऑफरकर्ता को यह कार्य दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
7. उक्त कार्य की कार्यावधि एक वर्ष तक होगी, आवश्यकतानुसार सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर कार्यावधि में वृद्धि किया जा सकता है।
8. निविदा स्वीकृत करने अथवा नहीं करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई के पास सुरक्षित रहेगा।
9. न्यूनतम दरदाता को अनुबंध के समय कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई के नाम से राशि रु. 1,00,000.00 (एक लाख) का एफ.डी.आर. जमा करना होगा। उक्त एफ.डी. आर. कार्य सफलता पूर्वक होने के पश्चात वापस किया जायेगा।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई